आयु एवं यौन के अनुसार श्रम–विभाजन होता है। घर के काम के अलावे बाहर के काम भी पत्नी एवं बच्चे करते हैं। जैसे खादय संकलन, जलावन संकलन, घास संकलन आदि। इसके अलावे पति, पत्नी एवं बच्चे घर चलाने के लिए मजदूरी भी करते हैं। पति–पत्नी एक–दूसरे को सहयोग करते हैं। एक–दूसरे के लिए त्याग की भावना उनमें रहती है। माता–पिता द्वारा अर्जित संपति बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है।

8. **मनोवैज्ञानिक कार्य** : विवाह केवल जैविक आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं वरन् मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। पति–पत्नी मात्र शारीरिक रूप से ही नहीं, वरन् मानसिक रूप से भी एक–दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक–दूसरे के बिना उनका जीवन बोझ बन जाता है। अलग होने की कल्पना से ही वे विचलित हो जाते हैं। दोनों गपशप तथा बातचित द्वारा एक–दूसरे का मनोरंजन भी करते है। जब बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तब माता–पिता में बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तथा वे नैसर्गिक सुख का अनुभव करते हैं। वे बच्चों के साथ गपशप तथा बातचित करके आनंद प्राप्त करते हैं। कथा–कहानी द्वारा उनका मनोरंजन भी करते हैं।

9. **सामाजिक कार्य** : विवाह द्वारा कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। विवाह के बाद वर–कन्या पति–पत्नी के रूप में सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं। कन्या पति–पक्ष के रिश्तेदारों तथा पति कन्या पक्ष के रिश्तेदारों से जुड़ जाते हैं। कन्या अब पत्नी, भाभी, चाची, भावह, मामी, पुतोह, आदि के रूप में सामाजिकता प्राप्त करती है। दूसरे तरफ वर पति, जीजा, बहनोई, मौसा, फुफा, दामाद, आदि के रूप में सामाजिक व्यवस्था में स्थान पाता है। यानि उन्हें अपने पद के अनुसार कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करना पड़ता है।

उपर प्रस्तुत विवरणों से स्पष्ट होता है कि विवाह का एक उद्देश्य जैविक आवश्कताओं की पूर्ति करना है। लेकिन साथ–ही–साथ विवाह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्कताओं की पूर्ति भी की जाती है। अतः विवाह केवल जैविक अवधारणा नहीं है बल्कि विवाह सामाजिक सांस्कृतिक ,धार्मिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है।